

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4 (ई) (1) (6) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-III/

दिनांक :- 25/3

कार्यालय आदेश

श्री तुलसीराम गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, भरतपुर अपने वर्तमान पद के कार्य के साथ-साथ कार्यालय संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, भरतपुर में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे। इन्हें अतिरिक्त कार्य के लिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार नियमानुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।

विभागीय आदेश क्रमांक 8707-8720 दिनांक 04.09.2013 के द्वारा श्री भगवान दास, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बयाना (भरतपुर) को कार्यालय संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, भरतपुर के दिये गये अतिरिक्त कार्य आदेश को निरस्त किया जाता है।



(वीरबाला जोशी)

निदेशक

क्रमांक :- एफ.4 (ई) (1) (6) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-III/9386-90 दिनांक :- 25/3
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. जिला आयुर्वेद अधिकारी, भरतपुर।
2. कोषाधिकारी, भरतपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, भरतपुर।
4. श्री तुलसीराम गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, भरतपुर।
5. श्री भगवान दास, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बयाना (भरतपुर)।
6. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।



(महेन्द्र सिंह भूकर)

अतिरिक्त निदेशक [कार्मिक-II]